प्रारंभिक परीक्षा

केंद्र ने MSP में बढ़ोतरी की घोषणा की

संदर्भ

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने 2025-26 विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹5,650 प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले वर्ष से ₹315 की वृद्धि है।

जूट और इसके उत्पादन के बारे में -

- **जूट सुनहरा, मुलायम, लंबा और रेशमी चमक वाला एक प्राकृतिक रेशा है।**
- **अपने रंग और उच्च नकद मूल्य के कारण इसे "गोल्डन फाइबर" के नाम से जाना जाता है।**
    - **भारत में गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है।**
- **आवश्यक परिस्थितियाँ:** गर्म और आर्द्र जलवायु में सबसे अच्छा विकास होता है
    - **तापमान:** 25-35°C
    - **वर्षा:** 150-250 सेमी
    - **मिट्टी का प्रकार:** अच्छी जल निकासी वाली जलोढ़ मिट्टी
- **भारत में उत्पादन:**
    - मुख्य रूप से तीन राज्यों - **पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में केंद्रित है। वे भारत का लगभग 99% जूट उत्पादन करते हैं।**
    - **अन्य राज्य:** ओडिशा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड।
- **विश्वभर में:** भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान है।
- **जूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 100% खाद्यान्न और 20% चीनी को जूट की बोरियों में पैक करना अनिवार्य कर दिया है।**

राष्ट्रीय जूट बोर्ड (NJB)

- **इसकी स्थापना 2008 में राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 के तहत की गई थी। (मुख्यालय- कोलकाता, पश्चिम बंगाल)**
- **नोडल मंत्रालय:** वस्त्र मंत्रालय।
- **उद्देश्य:** आधुनिकीकरण, उत्पादकता वृद्धि तथा जूट उत्पादों के घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय विपणन को समर्थन देकर जूट क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना।

यूपीएससी पीवाईक्यू

प्रश्न: यह फसल उपोष्णकटिबंधीय है। इसके लिए कड़ाके की ठंड हानिकारक है। इसके विकास के लिए कम से कम 210 ठंढ-मुक्त दिन और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। नमी बनाए रखने में सक्षम हल्की और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी इस फसल की खेती के लिए आदर्श है।

निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है? **(2020)**

(a) कपास
(b) जूट
(c) गन्ना
(d) चाय

उत्तर:(**a**)

स्रोत: **The Hindu - MSP for Jute**

केरल का एक आदिवासी राजा दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेगा

संदर्भ

मन्नान समुदाय के प्रमुख और केरल के एकमात्र आदिवासी राजा रमन राजमन्नान दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेंगे।

मन्नान समुदाय के बारे में -

- **मन्नान समुदाय केरल में एक मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजाति (एसटी) है, जो अपनी अनूठी परंपराओं, संस्कृति और सामाजिक-राजनीतिक प्रथाओं के लिए जाना जाता है।**
- यह मुख्यतः **इडुक्की जिले** में बसा हुआ है।
- **जनसंख्या**: 2011 की जनगणना के अनुसार, मन्नान समुदाय की **जनसंख्या लगभग 9,000** लोगों की है।

सांस्कृतिक प्रथाएँ

- **पारंपरिक नेतृत्व:**
    - मन्नान समुदाय का **एक वंशानुगत राजा (मन्नान राजा)** होता है जो **उनके समुदाय के मुखिया के रूप में कार्य करता है और आदिवासी अनुष्ठानों और विवादों की अध्यक्षता करता है।**
    - राजा **कोविलमाला** में रहते हैं, जिसे अक्सर **मन्नान की "आदिवासी राजधानी"** कहा जाता है। **कोविलमाला इडुक्की में कट्टप्पाना के पास स्थित है।**
    - राजा न केवल एक प्रतीकात्मक व्यक्ति है बल्कि जनजातीय मामलों में निर्णय लेने की शक्ति भी रखता है।
    - समुदाय के भीतर प्रत्येक बस्ती का नेतृत्व एक **'कनिकारन'** करता है, जो **स्थानीय मामलों की देखरेख करता है।**
- **मातृवंशीय प्रणाली**: यह **जनजाति मातृवंशीय विरासत प्रणाली का अनुसरण करती है**, जहां संपत्ति महिला वंश के माध्यम से आगे बढ़ती है।
- **पारंपरिक पोशाक**: **पुरुष मुंडू (पारंपरिक सफेद धोती) पहनते हैं**, और महिलाएं **साड़ी** या पारंपरिक आदिवासी परिधान पहनती हैं।

स्रोत: **The Hindu - Tribal king from Kerala**

एआई चिप्स के निर्यात के लिए अमेरिका का नया नियम

संदर्भ

अमेरिकी उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो (BIS) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स के निर्यात और हस्तांतरण को नियंत्रित करने के लिए नए नियम पेश किए हैं।

विनियमन किस प्रौद्योगिकी को कवर करते हैं?

- **उन्नत कंप्यूटिंग चिप्स:** ये उच्च प्रदर्शन वाले प्रोसेसर हैं जो AI मॉडलों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हैं।
- **क्लोज्ड एआई मॉडल वेट**: एआई मॉडल में आउटपुट उत्पन्न करने के लिए इनपुट डेटा पर लागू गणितीय ऑपरेशन शामिल होते हैं।
    - **मॉडल वेट**: ये विशिष्ट पैरामीटर हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि AI मॉडल कैसे कार्य करते हैं।
    - **मॉडल आर्किटेक्चर**: एआई आउटपुट की गुणवत्ता और प्रकृति निर्धारित करता है।
- **टोटल प्रोसेसिंग परफॉरमेंस(TPP)**:
    - विनियमन कंप्यूट पावर पर सीमा निर्धारित करता है, जो GPU प्रदर्शन के लिए एक प्रमुख मीट्रिक है।
    - प्रतिबंध के अधीन देशों में 2027 तक 790 मिलियन की टीपीपी सीमा होगी, जो लगभग 50,000 एच100 GPU के बराबर है।
- **अपवाद और छूट**:
    - **मान्य अंतिम उपयोगकर्ता(VEU) स्थिति**: विशेष VEU स्थिति वाली कंपनियाँ, जैसे कि **Amazon Web Services** और **Microsoft Azure, कैप से मुक्त हैं।** वे अगले दो वर्षों में बड़ी संख्या में GPU, जैसे कि **320,000 उन्नत GPU तक पहुँच सकते हैं।**
    - **छोटे ऑर्डर: 1,700 H100 चिप्स** तक के GPU की खरीद को इस सीमा में नहीं गिना जाएगा, जिससे विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों और चिकित्सा संस्थानों के लिए प्रक्रिया सरल हो जाएगी।
    - **गेमिंग GPU**: गेमिंग प्रयोजनों के लिए GPU की खरीद प्रतिबंधों से मुक्त है।
- **भारत पर प्रभाव:**
    - **VEU प्राधिकार**: उन्नत एआई चिप्स को तैनात करने का लक्ष्य रखने वाले भारतीय डेटा केंद्रों को अब प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए VEU प्राधिकार के लिए आवेदन करना होगा।
    - **यह नीति भारत की ओर निवेश को पुनर्निर्देशित कर सकती है, जिससे वैश्विक एआई और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी भूमिका बढ़ सकती है।**

देशों का वर्गीकरण

- नये नियम देशों को तीन स्तरों में विभाजित करके निर्यात, पुनः निर्यात और हस्तांतरण नियंत्रण को अद्यतन करते हैं:
- **टियर 1: इसमें 18 विश्वसनीय सहयोगी और साझेदार शामिल हैं** (ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटेन, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, ताइवान)
    - **उन्नत कंप्यूटिंग चिप्स के निर्यात, पुनः निर्यात या हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं।**
- **टियर 2: इसमें चीन और भारत** जैसे देश शामिल हैं।
    - **प्रतिबंधों में शामिल हैं:**
        - निर्यातित चिप्स की मात्रा पर सीमा।
        - उन्नत एआई मॉडल के विकास में योगदान देने वाले लेनदेन के लिए **VEU**(मान्य अंतिम उपयोगकर्ता) प्राधिकरण।

- उन्नत एआई मॉडल में योगदान नहीं देने वाले चिप्स के लिए छूट (उदाहरण के लिए, ~1,700 उन्नत जीपीयू की सामूहिक गणना शक्ति वाले क्लस्टर को प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है)।

- **स्तर 3: उत्तर कोरिया, इराक, ईरान और रूस** जैसे शस्त्र-प्रतिबंधित देश - प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं।

स्रोत: **The Hindu - New rule for exporting AI chips**

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

संदर्भ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत प्रस्तुत कम से कम 4.14 लाख फसल बीमा दावों की पहचान महाराष्ट्र कृषि विभाग ने फर्जी के रूप में की है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के बारे में -

- **PMFBY सरकार प्रायोजित फसल बीमा योजना है जो कई हितधारकों को एक ही मंच पर एकीकृत करती है।**
- **उद्देश्य**: इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सतत उत्पादन को समर्थन देना है:
    - अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल हानि/नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
    - खेती में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।
    - किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **नोडल मंत्रालय:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- **फसलों का कवरेज:** खाद्य फसलें (अनाज, बाजरा और दालें), तिलहन, वार्षिक वाणिज्यिक / वार्षिक बागवानी फसलें।
- **पात्रता: बटाईदार और किरायेदार किसानों** सहित सभी किसान।
- **प्रीमियम**: **खरीफ के लिए 2%, रबी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए 1.5% तथा वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5%।**
    - प्रीमियम का शेष हिस्सा **केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है।**
- **कवर किए गए जोखिम एवं बहिष्करण:**
    - **मूल कवर**: बुवाई, रोपण और अंकुरण विफलता का जोखिम, खड़ी फसल की विफलता का जोखिम, कटाई के बाद नुकसान का जोखिम, आपदाओं के खिलाफ सुरक्षा।
    - **बहिष्करण: युद्ध, परमाणु जोखिम, दुर्भावनापूर्ण क्षति और अन्य रोके जा सकने वाले जोखिमों** के कारण अधिसूचित बीमित फसलों को होने वाली हानि या क्षति को कवरेज के दायरे से बाहर रखा गया है।

स्रोत: **Indian Express - Bogus crop insurance claims**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की उपलब्धियां

संदर्भ

हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 2021-2024 की मूल्यांकन रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के बारे में -

- **इसे 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के रूप में शुरू किया गया था।**
- **वर्ष 2012 में एकीकृत NHM के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) को शामिल करके इसका विस्तार किया गया।**
- **उद्देश्य:** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाना, विशेष रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा संचारी रोगों पर ध्यान केंद्रित करना।
- **कार्यान्वयन:** NHM राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

NHM की प्रमुख उपलब्धियां (2021-24)

- **मानव संसाधन का विस्तार:** वित्त वर्ष 2021-22: 90,740 सीएचओ (सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी) सहित 2.69 लाख कर्मचारी।
- **मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी:**
    - **मातृ मृत्यु अनुपात(MMR)**: 1990 के बाद से 83% की गिरावट (45% की वैश्विक गिरावट से अधिक)।
    - **अंडर-5 मृत्यु दर(U5MR)**: 45 (2014) से घटाकर 32 (2020)।
    - **शिशु मृत्यु दर(IMR)**: 39 (2014) से घटकर 28 (2020) हो गई।
    - **कुल प्रजनन दर(TFR)**: 2.3 (2015) से घटकर 2.0 (2020) हो गई।
- **रोग नियंत्रण एवं उन्मूलन**
    - **क्षय रोग (टीबी):** घटनाएँ प्रति 1,00,000 जनसंख्या (2015) में 237 से घटकर 195 (2023) हो गईं। मृत्यु दर 28 से घटकर 22 (2015-2023) हो गई।
    - **मलेरिया**: 2020 की तुलना में 2021 में मामलों और मौतों में क्रमशः 13.28% और 3.22% की गिरावट आई।
    - **सिकल सेल एनीमिया:** 2023 में शुरू किए गए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत 2.61 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की जांच की गई।
    - **प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान:** 1.56 लाख नि-क्षय मित्र स्वयंसेवकों द्वारा समर्थित, जिससे 9.4 लाख टीबी रोगियों को लाभ हुआ।

स्रोत: [The Hindu - NHM]

कर बचाव संधियों के लिए नए मानदंड

संदर्भ

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने दोहरे कर बचाव समझौतों (DTAA) के तहत मुख्य उद्देश्य परीक्षण (PPT) के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

नये मानदंडों के बारे में -

- **PPT की प्रयोज्यता**: **मुख्य उद्देश्य परीक्षण (PPT) प्रावधान भावी रूप से** लागू होंगे (अर्थात, भविष्य के लेनदेन के लिए)।
    - DTAA के अंतर्गत **संधि-विशिष्ट ग्रैंडफादरिंग प्रावधानों को PPT आवेदन से बाहर रखा गया है।**
- **ग्रैंडफादरिंग प्रावधान**: इसका तात्पर्य पहले से मौजूद समझौतों को नए नियमों से प्रभावित होने से बचाना है।
    - **साइप्रस, मॉरीशस और सिंगापुर** के साथ DTAA में ये प्रावधान PPT प्रावधानों से स्वतंत्र रूप से संचालित होते रहेंगे।
- **व्याख्या के लिए मार्गदर्शन**: परिपत्र में PPT प्रावधानों की व्याख्या के लिए संदर्भ ढांचे के रूप में **BEPS कार्य योजना 6** और **संयुक्त राष्ट्र मॉडल कर कन्वेंशन के उपयोग पर जोर दिया गया है।**

PPT(मुख्य उद्देश्य परीक्षण) क्या है?

- **इसे संधि के दुरुपयोग को रोकने के लिए OECD द्वारा BEPS एक्शन प्लान 6 के तहत पेश किया गया था।**
- यदि लेन-देन का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभ का फायदा उठाना है, तो PPT ऐसे लाभों से इनकार कर सकता है।
    - **उदा.** भारत-मॉरीशस **DTAA** से लाभ पाने के लिए मॉरीशस में एक शेल कंपनी स्थापित करने से PPT प्रावधान लागू हो सकते हैं।

दोहरा कर बचाव समझौते (DTAA) -

- **DTAA दो या अधिक देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो एक ही आय पर दो बार कर लगने से रोकने के लिए बनाई गई है।**
- भारत ने लगभग 90 देशों के साथ ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उन व्यक्तियों को लाभ मिलता है जो एक देश में रहते हैं लेकिन आय किसी अन्य देश में अर्जित करते हैं।

BEPS कार्य योजना 6 -

- **BEPS का अर्थ है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, जो बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा कर चोरी से निपटने के लिए OECD द्वारा शुरू की गई एक पहल है।**
- **कार्य योजना 6 में संधि खरीदारी** (अनुकूल कर समझौतों वाले देशों के माध्यम से निवेश को रूट करके कर देयता को कम करने के लिए कर संधियों का उपयोग) पर ध्यान दिया गया है।
- यह PPT और अन्य उपायों के माध्यम से कर संधियों के दुरुपयोग को रोकने से संबंधित है।

संयुक्त राष्ट्र मॉडल टैक्स कन्वेंशन

- कर संधियों पर बातचीत करने में विकासशील देशों को मार्गदर्शन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्मित एक ढांचा।
- यह स्रोत और निवास देशों के कर अधिकारों को संतुलित करने पर केंद्रित है।

स्रोत: [The Hindu - Tax avoidance treaties]

अंतरिक्ष टेलीस्कोप को नियम तोड़ने वाले ब्लैक होल का पता चला

संदर्भ

नासा के **जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप(JWST)** और चंद्रा एक्स-रे वेधशाला का उपयोग करने वाले शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने एक **असामान्य सुपरमैसिव ब्लैक होल की खोज** की है, जिसे **LID-568 नामित** किया गया है**, जो ब्लैक होल के गठन और विकास के मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती देता है।**

सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बारे में -

- **वे सबसे बड़े प्रकार के ब्लैक होल हैं, जो अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं।**
- उनमें सूर्य की तुलना में लाखों से अरबों गुना अधिक द्रव्यमान होता है।
    - **उदाहरण** - **सैजिटेरियस A**, जो आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है। इसका द्रव्यमान लगभग **4.3 मिलियन सौर द्रव्यमान है।**

LID-568 की खोज

- **LID-568 एक कम द्रव्यमान वाला अतिविशाल ब्लैक होल है जो बिग बैंग के 1.5 अरब वर्ष बाद अस्तित्व में आया, वह समय जब ब्रह्मांड सिर्फ 8 वर्ष पुराना था।**
- **अवलोकन संबंधी मुख्य बिंदु**:
    - एक्स-रे में इसकी असाधारण चमक के कारण इसे चंद्रा एक्स-रे वेधशाला का उपयोग करके खोजा गया था।
    - इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रम में JWST की संवेदनशीलता ने शोधकर्ताओं को इसके गुणों का और अधिक अध्ययन करने में सक्षम बनाया।
- **LID-568 की अभिवृद्धि दर एडिंगटन सीमा(Eddington limit) से 40 गुना अधिक है, जिससे यह सुपर-एडिंगटन व्यवहार का एक चरम उदाहरण बन जाता है।**
    - **अभिवृद्धि दर:** यह उस दर को संदर्भित करता है जिस पर पदार्थ ब्लैक होल पर गिर रहा है, यह मापता है कि प्रति इकाई समय में ब्लैक होल में कितना द्रव्यमान जोड़ा जा रहा है। इसे प्रति वर्ष सौर द्रव्यमान की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है।

एडिंगटन सीमा

- **यह वह अधिकतम दर है जिस पर एक ब्लैक होल पदार्थ को खींच सकता है।**
- यह तब होता है जब पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरण का बाहरी दबाव ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाता है।
- यदि यह सीमा पार हो जाती है, तो ब्लैक होल शक्तिशाली विकिरण उत्सर्जित करना शुरू कर सकता है।

स्रोत: [The Hindu - rule-breaking black hole]

समाचार संक्षेप में

हवाई अड्डों द्वारा लगाया जाने वाला उपयोगकर्ता विकास शुल्क (UDF)

- लोक लेखा समिति (PAC) ने हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA) को UDF की गणना के लिए प्रयुक्त मानदंडों, अर्जित कुल राजस्व तथा इस राजस्व का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं और बुनियादी ढांचे पर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है।

उपयोगकर्ता विकास शुल्क (UDF) -

- **UDF एक शुल्क है जो हवाई अड्डे से प्रस्थान करने वाले तथा कुछ मामलों में आने वाले यात्रियों से वसूला जाता है।**
- **उद्देश्य**:
  - बुनियादी ढांचे के विकास और आधुनिकीकरण परियोजनाओं को वित्तपोषित करना।
  - टर्मिनल, रनवे और अन्य सेवाओं जैसी सुविधाओं के निर्माण या विस्तार में हवाई अड्डा संचालकों द्वारा किए गए खर्च की वसूली करना।
  - सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना तथा अंतर्राष्ट्रीय विमानन मानकों को पूरा करना।
- **भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA)** प्रमुख हवाई अड्डों पर UDF को नियंत्रित करता है।

हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA) -

- **AERA भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।**
- AERA प्रमुख हवाई अड्डों पर वैमानिकी सेवाओं (वायु यातायात प्रबंधन, विमानों की लैंडिंग और पार्किंग, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं) के लिए टैरिफ और अन्य शुल्कों (विकास शुल्क और यात्री सेवा शुल्क) को नियंत्रित करता है।
  - **प्रमुख हवाई अड्डे:** कम से कम **35 लाख वार्षिक यात्री यातायात वाले हवाई अड्डे।**

लोक लेखा समिति के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें - Study IQ

स्रोत: **The Hindu - User development fee**

डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथराइजेशन(Diamond Imprest Authorisation-DIA) योजना

- **यह 10% मूल्यवर्धन के निर्यात दायित्व के साथ ¼ कैरेट (25 सेंट) से कम के प्राकृतिक कटे और पॉलिश किए गए हीरे के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देता है।**
- **उद्देश्य:** मूल्य संवर्धन, निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना तथा भारतीय हीरा निर्यातकों, विशेषकर एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
- **पात्रता**: टू स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा और उससे ऊपर के सभी हीरा निर्यातक और प्रति वर्ष 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करते हैं।
- **यह योजना लैब-ग्रोन डायमंड्स (LGD) पर लागू नहीं होती है।**

तथ्य

- **भारत पॉलिश किये हुए हीरों का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है।**
- भारत मात्रा के हिसाब से दुनिया के लगभग 90% कच्चे हीरों का प्रसंस्करण करता है
- मूल्य के हिसाब से वैश्विक हीरा निर्यात में भारत का योगदान 33% है।

स्रोत: **PIB - Scheme to boost global competitiveness of diamond sector**

2025-26 में भारत की तेल मांग एक और रिकॉर्ड छूने की संभावना

- भारत में परिष्कृत पेट्रोलियम ईंधन और उत्पादों की खपत वित्तवर्ष 2025-2026 में नई ऊंचाई पर पहुंचने का अनुमान है।
- **वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए उपभोग अनुमान:**
    - कुल पेट्रोलियम उत्पादों की खपत: वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान से 4.7% बढ़कर 252.93 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है।

पेट्रोलियम खपत में वृद्धि के कारण

- **आर्थिक विकास:** तीव्र औद्योगिकीकरण और ऊर्जा-गहन उद्योग मांग को बढ़ाते हैं।
- **परिवहन क्षेत्र**: वाहनों की बिक्री में वृद्धि (व्यक्तिगत और वाणिज्यिक दोनों)।
- **विस्तारित विमानन बाजार**: **भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है**, जिसके कारण विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की मांग बढ़ रही है।

पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (PPAC)

- **यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) के तहत एक संलग्न कार्यालय है।**
- यह भारत में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र पर डेटा और नीति विश्लेषण के लिए सबसे प्रामाणिक आधिकारिक स्रोत है।
- **इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। (मुख्यालय- नई दिल्ली)**

स्रोत: [Indian Express - India's oil demand]

संपादकीय सारांश

पेरिस समझौते(2015) से अमेरिका का हटना

संदर्भ

हाल ही में अमेरिका पेरिस समझौते 2015 से हट गया।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी -

- यह एकमात्र ऐसा देश है जो जलवायु समझौते से तीन बार पीछे हट चुका है:
    - 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्योटो प्रोटोकॉल से अपना नाम वापस ले लिया।
    - डोनाल्ड ट्रम्प दो बार (2020 और 2025) जलवायु समझौते से हट चुके हैं।

पेरिस समझौते में क्या कहा गया है?

- **पेरिस समझौते के तहत, दुनिया के लगभग हर देश ने वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे, या संभवतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य पर सहमति व्यक्त की थी।**
- यह एक समझौता है जो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (1992) का हिस्सा है।**
- यह जलवायु परिवर्तन पर **कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है।**

जलवायु की वर्तमान स्थिति

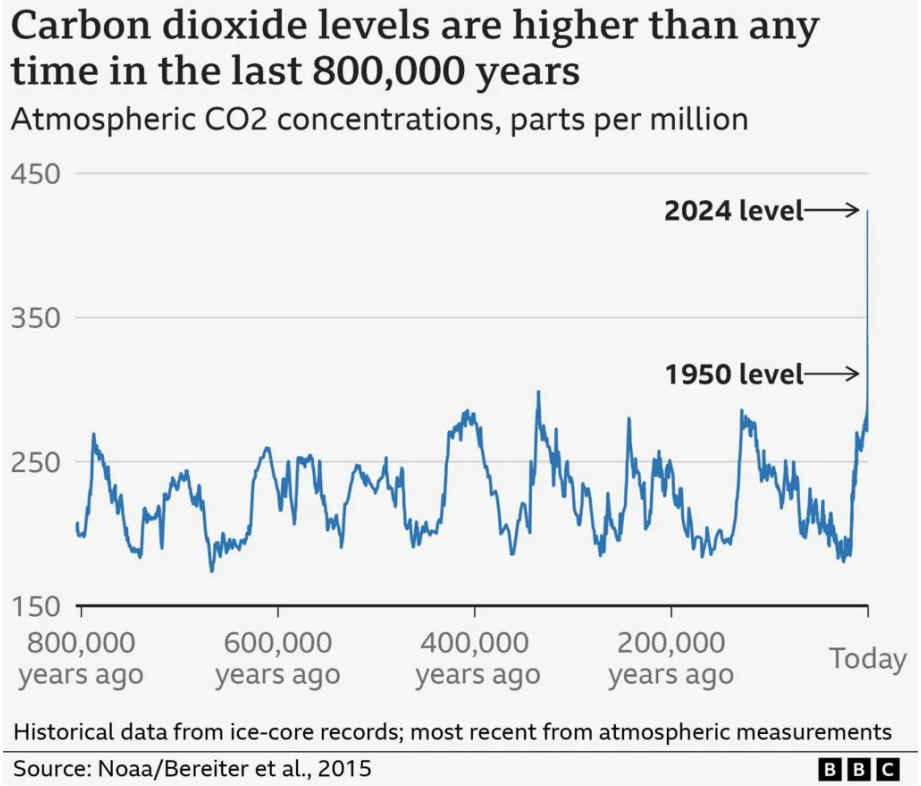

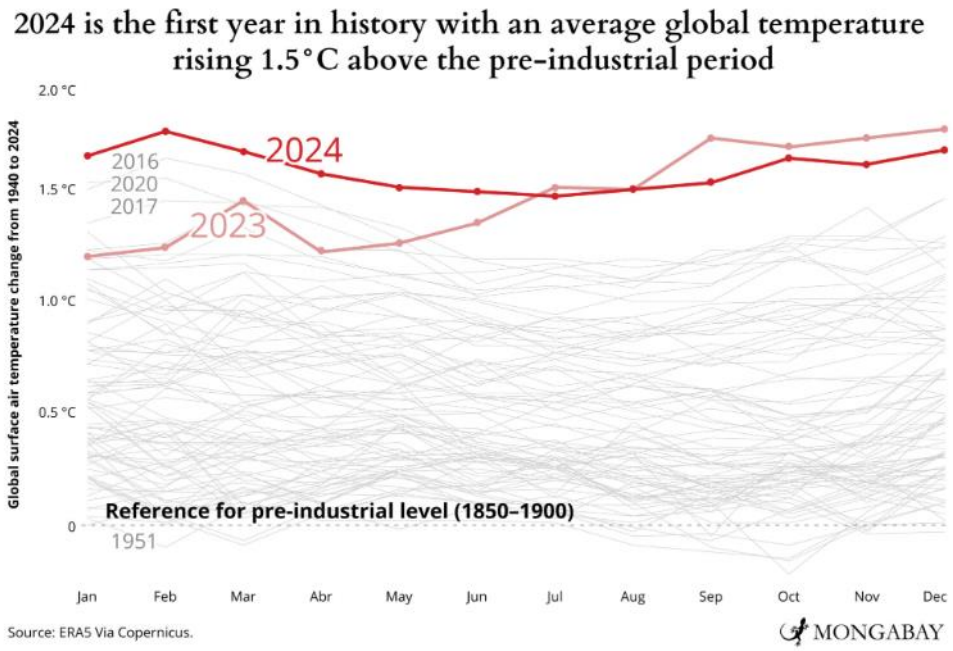

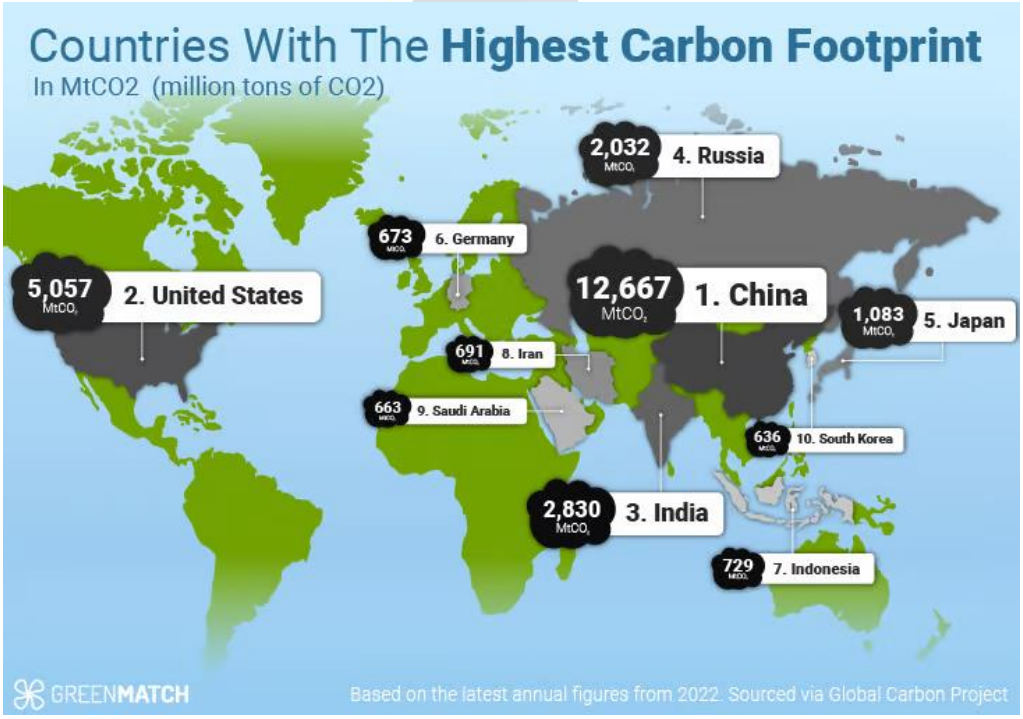

अमेरिकी वापसी का प्रभाव

- अमेरिका के इस कदम से **वैश्विक जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों को बड़ा झटका लगा है**।
- इससे **चीन और यूरोपीय संघ को** तेजी से बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी और अमेरिकी श्रमिकों के लिए अवसर कम हो जाएंगे।
- पेरिस समझौते से बाहर निकलकर अमेरिका ने **वैश्विक जलवायु चर्चाओं में अपनी स्थिति को कमजोर कर दिया है।**

    - यह निर्णय जलवायु परिवर्तन से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है तथा भविष्य की पर्यावरण नीतियों को आकार देने में राष्ट्र के प्रभाव को कम करता है।
- संघीय सरकार के कदमों के बावजूद, **राज्य स्तरीय पहल और निजी क्षेत्र का नेतृत्व** स्थिरता के लिए प्रयास जारी रखे हुए है।
    - **उदाहरण के लिए,** कैलिफोर्निया के जलवायु कानून और अंतर्राष्ट्रीय फैशन ब्रांड पर्यावरणीय लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जो जलवायु प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने में उप-राष्ट्रीय और निजी कार्यों के महत्व को उजागर करते हैं।

स्रोत: **The Hindu: An Exit of Bluster**

सिंधु जल संधि: तटस्थ विशेषज्ञ का निर्णय और इसके निहितार्थ

संदर्भ

सिंधु जल संधि (IWT) के तहत विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ के हालिया निर्णय का भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे जल-बंटवारे विवादों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

सिंधु जल संधि (IWT) -

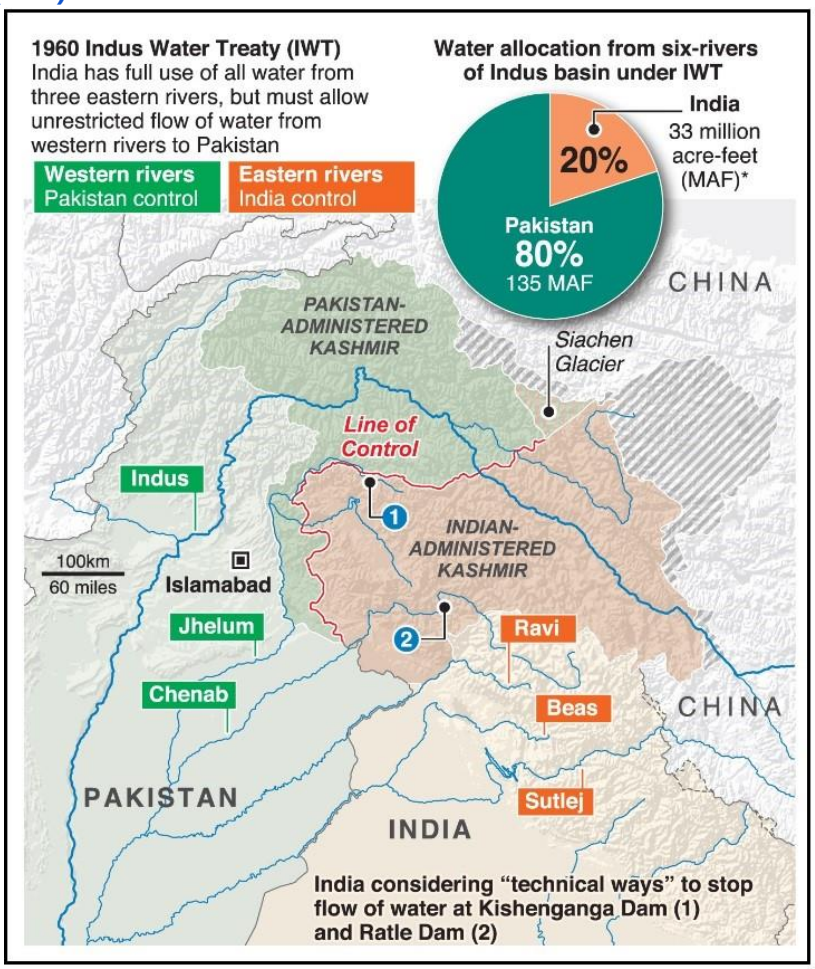

- **हस्ताक्षरित**: विश्व बैंक द्वारा नौ साल की बातचीत के बाद 19 सितंबर, 1960 को भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा।
- **उद्देश्य**: भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल वितरण का निर्धारण करना।
- **अंतर्देशीय जल संधि के अंतर्गत जल वितरण:**
    - **भारत में तीन पूर्वी नदियों का "अप्रतिबंधित उपयोग" है:** ब्यास, रावी और सतलज।
    - **पाकिस्तान तीन पश्चिमी नदियों को नियंत्रित करता है:** सिंधु, चिनाब और झेलम।
    - यह वितरण भारत को सिंधु नदी प्रणाली से कुल जल प्रवाह का केवल लगभग 20% अनुदान देता है, शेष 80% पाकिस्तान को जाता है।
        - अनुच्छेद III (1) में कहा गया है कि भारत को पश्चिमी नदी के पानी को पाकिस्तान में प्रवाहित करने की अनुमति देनी होगी।

वर्तमान विवाद

- **जलविद्युत परियोजनाएँ:** विवाद जम्मू और कश्मीर में दो जलविद्युत परियोजनाओं पर केंद्रित है:
    - किशनगंगा नदी (झेलम की एक सहायक नदी) पर किशनगंगा जलविद्युत परियोजना (HEP)।
    - चिनाब नदी पर रतले जलविद्युत परियोजना।
- **पाकिस्तान की आपत्तियाँ**: पाकिस्तान ने इन परियोजनाओं की डिजाइन विशेषताओं पर आपत्ति जताते हुए दावा किया है कि ये सिंधु जल संधि का उल्लंघन करती हैं।
    - हालांकि ये परियोजनाएं नदी के प्रवाह को महत्वपूर्ण रूप से बाधित नहीं करती हैं, फिर भी पाकिस्तान का तर्क है कि ये जल उपलब्धता को प्रभावित कर सकती हैं।
- **तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति:** 2015 में, पाकिस्तान ने अपनी तकनीकी आपत्तियों के समाधान के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति का अनुरोध किया था, लेकिन बाद में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) द्वारा निर्णय के पक्ष में इस अनुरोध को वापस ले लिया।
    - भारत ने इस मामले को किसी तटस्थ विशेषज्ञ को सौंपने पर जोर दिया।

भविष्य के संबंधों पर प्रभाव

- **जारी तनाव:** भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं तथा कूटनीतिक संपर्क भी न्यूनतम है।
    - तटस्थ विशेषज्ञ का निर्णय तकनीकी विवादों को सुलझाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान कर सकता है, तथा मामले को मध्यस्थता तक बढ़ने से रोक सकता है।
- **संशोधन के लिए भारत का नोटिस**: जनवरी 2023 में, भारत ने इस्लामाबाद की बार-बार आपत्तियों के कारण IWT में "संशोधन" की मांग करते हुए पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया।
    - यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, क्योंकि यह छह दशकों में अपनी तरह का पहला नोटिस था।
    - संधि के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने तथा संभावित रूप से पुनः बातचीत करने की भारत की मंशा, बदलती जनसांख्यिकी, पर्यावरणीय चिंताओं तथा विकासात्मक आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करती है।
- **भविष्य के विचार:** विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत की अधिसूचना में "मौलिक और अप्रत्याशित परिवर्तन" को उजागर किया गया है, जिसके कारण संधि की शर्तों पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया है। इनमें जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण संबंधी मुद्दे और सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव शामिल हैं।

स्रोत: **Indian Express: Why neutral expert's decision on IWT is a win for India**